राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2269/2025

रामचन्द्र सिंह मंगावा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव – द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
4. बजरंग लाल शर्मा, अतिरिक्त विकास अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.03.2025

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरीराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर जिला परिषद, सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, चूरू किया गया है। उनका तर्क है कि

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2022 से सीकर में कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को जिला सीकर से पंचायत समिति, पावटा स्थानांतरणाधीन दर्शाते हुये जिला परिषद, सीकर में किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि इस प्रकार के अनेकों मामलों में माननीय अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी की पत्नी मानसिक रोग से बीमार है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, जिसकी देखभाल हेतु अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो स्थानांतरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर जिला परिषद, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, चूरू किया गया है। अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पत्नी दिमागी बीमारी से पीडित है, जिसका निरंतर उपचार चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार

आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)